न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व मुकाम रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 84 / 2020
जीसीएमएस आईडी :– 2020 / 00189

1. जगतार सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी 2 बीडब्लयूएम ए ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
2. सेठी सिंह पुत्र सतनाम सिंह जाति मजहबी निवासी 2 बीडब्लयूएम ए ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
3. विजय सिंह पुत्र समनाम सिंह जाति मजहबी निवासी 2 बीडब्लयूएम ए ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

–:वादीगण

बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति मजहबी निवासी 2 बीडब्लयूएम ए ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज).
2. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर

–:प्रतिवादीगण

3. जगराज सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति मजहबी निवासी 2 बीडब्लयूएम ए ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज)
4. मनप्रीत कौर पुत्री रिछपाल सिंह पत्नी इन्द्राज जाति मजहबी निवासी 9 पी.एस.डी. तहसील रावला श्रीगगांनगर(राज.)
5. बिन्द्र कौर पुत्री रिछपाल सिंह पत्नी परमजीत सिंह जाति मजहबी निवासी 21 एच तहसील करणपुर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
6. सुखपाल कौर पुत्री रिछपाल सिंह पत्नी निशान सिंह जाति मजहबी निवासी 8 एन.एन.ए. तहसील पदमपुर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
   सभी जरिए मु0 आम जगसीर सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति मजहबी निवासी 2 बीडब्लयूएम ए ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज).
7. गुरप्रीत कौर पुत्री सतनाम सिंह जाति मजहबी निवासी 2 बीडब्लयूएम ए ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज).
8. गुरमीत कौर पत्नी सतनाम सिंह जाति मजहबी निवासी 2 बीडब्लयूएम ए ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज).

–:तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88–53–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति:–

1. श्री रविन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री अनिल कड़वासरा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक:–25.01.2021

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जोगेन्द्र सिंह मृतक वादी जगतार सिंह के पिता एवं वादीगण सेंठी सिंह–विजय सिंह व प्रतिवादी सं. 1 व तरतीबी प्रतिवीगण सं. 3 ता 7 के दादा व 8 के ससुर थे। जोगेन्द्र सिंह पुत्र बावा सिंह अपने जीवनकाल में चक 2 बीडब्लयूएम ए तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 17 प.नं. 295 / 346 के कि.नं. [illegible] की कुल 6.200है. भूमि धारित करते थे। जो उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति हैं। जोगेन्द्र [illegible] ने अपने जीवनकाल में ही उक्त रकबा में से 2.480है. कमाण्ड मय खाला [illegible] वादीगण सेठी सिंह व विजय सिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर कर दे[illegible] मृत्यू उपरान्त राजस्व [illegible] में अमलदरामद हुये।

वर्तमान जमाबंदी अनुसार 2 बीडब्लयूएम ए तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. [illegible] में मु.नं. 17 प.नं. 295 / 346 के कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24 / 2, 25 / 2, 25 / 3 की कुल 2.480है. कमाण्ड मय खाला वादीगण विजय सिंह व सेठी सिंह के नाम से 1 / 2–1 / 2 खातेदारी दर्ज हुई एवं शेष भूमि खाता सं. 21 / 14 में मुरब्बा नं. 17 प.नं. 295 / 346 के कि.नं.

उपखण्ड अधिकारी राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:50:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23/2 की कुल 3.720है. कमाण्ड खातेदारी भूमि जोगेन्द्र सिंह के नाम से दर्ज हैं। जोगेन्द्र सिंह के नाम से दर्ज भूमि में पुत्री चरणजीत कौर ने अपना समस्त विरास्तन भाग अपने भाई जगतार सिह के पक्ष में बरूवे दस्तबरदारी छोड़ दिया।

जोगेन्द्र सिंह की मृत्यु उपरान्त पक्षकारान के मध्य भूमि का हक हिस्सा को लेकर विवाद, मतभेद व झगड़े शुरू हो गये। 19.12.2019 को पक्षकारान के हितैषियों मित्रों व रिश्तेदारों की पंचयत ने पक्षकारान के मध्य भूमि को लेकर मनमुटाव मतभेद को आपसी सहमति व रजामंदी से सुलझाते हुये प्रत्येक पक्ष को उसके वाजिब हक दिलाते हुये राजीनामा करवा दिया गया। जिस राजीनामा से प्रत्येक पक्ष ने पूर्णतया अपनी सहमति देते हुवे स्वीकार किया और मुताबिक राजीनामा मृतक रिछपाल सिंह की पुत्र/पुत्रियों व मृतक सतनाम सिंह की पुत्री/पत्नी ने भी अपना-अपना विरास्तन हक बाहमी तौर पर छोड़ चुकी हैं। राजीनामा अनुसारवादीगण विजय सिंह व सेठी द्वारा अपने नाम से दर्ज रकबा में से कि.नं. 4 सालम व 7 की 0.139है. कुल 0.392है. भूमि से अपने हक व अधिकारी प्रतिवादी जगसीर सिंह के पक्ष में छोडते हुये शेष रकबा पर उनके हक-हकूक व खातेदारी अधिकार यथावत रखा जाना व शेष रकबा का उक्त पारिवारिक समझौता अनुसार प्राप्त कर खाता विभाजन करवाया जाना तय पाया। पारिवारिक समझौता अनुसार पक्षकारान को निम्नप्रकार से भूमि में हिस्सा निहित मानते हुये कब्जा काश्त प्राप्त हैं-

क. वादीगण विजय सिंह-सेठी सिंह बहिस्सा 2.088है. कमाण्ड मय खाला अनुसार 2 बीडब्लयूएम ए तहसील रायसिंहनगर में मु.नं. 17 प.नं. 295/346 के कि.नं. 5/1 की 0.228है. कमाण्ड, 5/2 की 0.025है. खाला, 6/1 की 0.228है कमाण्ड, 6/2 की 0.025है. खाला, 7 में 0.114है. कमाण्ड, 14 की 0.253है. कमाण्ड, 15/1 की 0.228 कमाण्ड, 15/2 की 0.025है.0 खाला, 16/1 की 0.228है. कमाण्ड, 16/2 की 0.025है. खाला, 17 की 0.253है. कमाण्ड, 24/2 की 0.228है. कमाण्ड, 25/2 की 0.203है. कमाण्ड व 25/3 की 0.025है. खाला कुल 2.088 कमाण्ड मय खाला खातेदारी।

ख. वादी जगतार सिंह 2.872 है. अनुसार चक 2 बीडब्लयूएम ए तहसील रायसिंहनगर में मु.नं. 17 प.नं. 295/346 के कि.नं. 1 ता 3 प्रत्येक में 0.253है. कमाण्ड, 8 की 0.139है., 9 ता 12 प्रत्येक 0.253है., 19-20 प्रत्येक 0.253है., 21/2 की 0.228है., 22/2 की 0.228है. कुल 2.872है. कमाण्ड कृषि भूमि खातेदारी

ग. प्रतिवादी जगसीर सिंह 1.240है. अनुसार वाके चक 2 बीडब्लयूएम ए तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 17 प.नं. 295/346 के कि.नं. 4 में 0.253 है. कमाण्ड, 7 की 0.139है. 8 की 0.114है. 13 में 0.253है. 18 में 0.253है., 23/2 की 0.228है. कुल 1.240है. कमाण्ड कृषि भूमि खातेदारी

उपरोक्त पारिवारिक समझौता अनुसार वादीगण व प्रतिवादी उपरोक्तानुसार प्राप्त हुवे रकबा को अपना मानते हुये उस पर निरन्तर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अतः चक 2 बीडब्लयूएम ए तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 17 प.नं. 295/346 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल 6.200है. कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन हेतु निवेदन किया।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 6, 7 व 8 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र स्वीकार कर चाहे गये अनुतोष प्रदान कर निर्णत व डिक्री किया जाना न्यायोचित हैं। जवाब सरकार पेश हुआ। प्रकरण में राजीनामा होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गयी। वादीगण की ओर से शपथ पत्र सेठी सिंह एवं जगतार सिंह बाबत साक्ष्य पेश हुए। जिन पर ब्यान दर्ज किये गये एवं दस्तावेज प्रदर्श किये गये।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष [illegible] बहस में कथन किया कि प्रकरण में पक्षकारान का आपसी सहमति से राजीनामा [illegible] गया [illegible]। पारिवारिक समझौता पत्रावली में पेश किया गया हैं। जिस अनुसार [illegible] कर [illegible] करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:30:42 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। तथा पत्राव[illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रदर्श-3ए पारिवारिक समझौता का अवलोकन किया। पारिवारिक समझौता भी वाद पत्र में अंकित तथ्यों के समान ही हैं। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

कर वाद वादीगण स्वीकार करने हेतु निवेदन किया हैं। अतः ऐसी स्थिति में चूंकि प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा हो चुका हैं, वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि– वादपत्र वादीगण स्वीकार किया जाता हैं। तथा तहसीलदार रायसिंनहगर की ओर से प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता हैं – चक 2 बीडब्लयूएम ए तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 46/31 में मु.नं. 17 प.नं. 295/346 के कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24/2, 25/2, 25/3 की कुल 2.480है. कमाण्ड मय खाला वादीगण विजय सिंह व सेठी सिंह के नाम से 1/2–1/2 खातेदारी दर्ज हुई एवं शेष भूमि खाता सं. 21/14 में मुरब्बा नं. 17 प.नं. 295/346 के कि.नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23/2 की कुल 3.720है. कमाण्ड खातेदारी जोगेन्द्र सिंह के नाम से दर्ज भूमि पर पक्षकारान के पारिवारिक समझौता अनुसार निम्न प्रकार खाता विभाजन कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को उनके सम्मुख अंकित कृषि भूमि काखातेदार घोषित किया जाता हैं–

क. वादीगण सं. 2–3 विजय सिंह–सेठी सिंह पि0 सतनाम सिंह :– चक 2 बीडब्लयूएम ए तहसील रायसिंहनगर में मु.नं. 17 प.नं. 295/346 के कि.नं. 5/1 की 0.228है. कमाण्ड, 5/2 की 0.025है. खाला, 6/1 की 0.228है कमाण्ड, 6/2 की 0.025है. खाला, 7 में 0.114है. कमाण्ड, 14 की 0.253है. कमाण्ड, 15/1 की 0.228 कमाण्ड, 15/2 की 0.025है. खाला, 16/1 की 0.228है. कमाण्ड, 16/2 की 0.025है. खाला, 17 की 0.253है. कमाण्ड, 24/2 की 0.228है. कमाण्ड, 25/2 की 0.203है. कमाण्ड व 25/3 की 0.025है. खाला कुल 2.088 कमाण्ड मय खाला भूमि 1/2–1/2 हिस्सा खातेदार

ख. वादी सं. 1 जगतार सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह :– चक 2 बीडब्लयूएम ए तहसील रायसिंहनगर में मु.नं. 17 प.नं. 295/346 के कि.नं. 1 ता 3 प्रत्येक में 0.253है. कमाण्ड, 8 की 0.139है., 9 ता 12 प्रत्येक 0.253है., 19–20 प्रत्येक 0.253है., 21/2 की 0.228है., 22/2 की 0.228है. कुल 2.872है. कमाण्ड कृषि भूमि खातेदार

ग. प्रतिवादी सं. 1 जगसीर सिंह पुत्र रिछपाल सिंह :– वाके चक 2 बीडब्लयूएम ए तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 17 प.नं. 295/346 के कि.नं. 4 में 0.253 है. कमाण्ड, 7 की 0.139है. 8 की 0.114है. 13 में 0.253है. 18 में 0.253है., 23/2 की 0.228है. कुल 1.240है. कमाण्ड कृषि भूमि खातेदार

तहसीलदार रायसिंहनगर उक्तानुसार खातेदारी भूमि का अलग अलग खाता में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से खातेदारी दर्ज करें।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:50:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner